

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 28-10-2025

विषय सूची

- » 22वां भारत-आसियान शिखर सम्मेलन
- » भारत में वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि
- » इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना के अंतर्गत 7 परियोजनाओं को स्वीकृति
- » भारत को एक हरित चारा क्रांति की आवश्यकता
- » साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
- » भारत के समुद्री वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ग्रेट निकोबार परियोजना

संक्षिप्त समाचार

- » राष्ट्रीय बीज निगम
- » समायोजित सकल राजस्व (AGR)
- » राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025
- » बुरेवेस्टनिक मिसाइल
- » रेड सैंडर्स
- » हाथियों की सुरक्षा के लिए घुसपैठ पहचान प्रणाली
- » डिजिटल गिरफ्तारी
- » स्टैनफोर्ड/एल्सेवियर की रैंक सूची

22वां भारत-आसियान शिखर सम्मेलन

संदर्भ

- 22वां दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान)-भारत शिखर सम्मेलन मलेशिया में आयोजित किया गया।
 - फिलीपींस 2026 में इसकी अध्यक्षता करेगा।

शिखर सम्मेलन की प्रमुख बातें

- भारत-आसियान संबंधों की प्रगति की समीक्षा की गई और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए नई पहलों पर चर्चा की गई।
 - यह भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की 12वीं भागीदारी थी।
- शिखर सम्मेलन ने भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौते (AITIGA) की शीघ्र समीक्षा का आह्वान किया।
- मलेशियाई अध्यक्षता की थीम “समावेशिता और सततता” के अनुरूप, प्रधानमंत्री ने सहयोग को गहरा करने के लिए कई पहलें घोषित कीं:
 - भारत-आसियान कार्य योजना (2026–2030) का कार्यान्वयन
 - सतत पर्यटन पर भारत-आसियान संयुक्त नेताओं के वक्तव्य को अपनाना
 - 2026 को “भारत-आसियान समुद्री सहयोग वर्ष” के रूप में नामित करना
 - गुजरात के लोथल में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन समुद्री विरासत महोत्सव का आयोजन
- प्रधानमंत्री ने सुरक्षित और खुले समुद्री वातावरण को बढ़ावा देने के लिए दूसरा भारत-आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक एवं दूसरा भारत-आसियान समुद्री अभ्यास आयोजित करने का प्रस्ताव भी रखा।

दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (ASEAN)

- स्थापना:** 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड में हुई।
- संस्थापक देश:** इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड।
- उद्देश्य:** शीत युद्ध तनावों के बीच क्षेत्रीय सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देना।

- मुख्यालय:** जकार्ता, इंडोनेशिया।
- वर्तमान सदस्य देश:** आसियान में वर्तमान में 11 सदस्य देश हैं — ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और ईस्ट तिमोर।
- आसियान भारत, चीन, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ और अन्य देशों व संगठनों के साथ संवाद साझेदारी बनाए रखता है।

भारत-आसियान संबंधों का संक्षिप्त विवरण

- शुरुआत:** सहयोग की शुरुआत 1990 के दशक में हुई।
 - साझा आर्थिक और रणनीतिक हितों द्वारा संचालित।
 - साथ ही यह क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव की प्रतिक्रिया भी थी।
- नीतिगत ढांचा:** 1990 के दशक में “लुक ईस्ट नीति” शुरू की गई, जिसे 2014 में “एक्ट ईस्ट नीति” में परिवर्तित कर दिया गया — यह आसियान के साथ संबंधों को बेहतर करने के लिए अधिक क्रियाशील दृष्टिकोण है।
- साझेदारी में प्रमुख पड़ाव**
 - 1992: भारत सेक्टरल डायलॉग पार्टनर बना।
 - 1996: पूर्ण संवाद साझेदार का दर्जा मिला।
 - 2012: रणनीतिक साझेदारी में उन्नयन।
 - 2022: व्यापक रणनीतिक साझेदारी में उन्नयन।
- व्यापार और निवेश** भारत और आसियान ने एक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे व्यापार एवं निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
 - आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, 2021-22 में कुल व्यापार US\$110.4 बिलियन तक पहुंच गया।
 - वित्त वर्ष 2009 से 2023 के बीच भारत का आसियान से आयात 234.4% बढ़ा, जबकि निर्यात केवल 130.4% बढ़ा।
 - इससे भारत का व्यापार घाटा 2011 में US\$7.5 बिलियन से बढ़कर 2023 में लगभग US\$44 बिलियन हो गया।

- **क्षेत्रीय संपर्क:** भारत-आसियान संपर्क को बेहतर बनाने के लिए भारत-भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कालादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना जैसे प्रोजेक्ट्स पर कार्य कर रहा है।
- **रक्षा और सुरक्षा:** भारत और आसियान के बीच रक्षा संबंध संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे भारत-आसियान समुद्री अभ्यास एवं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस (ADMM+) में भागीदारी के माध्यम से सुदृढ़ हुए हैं।
 - ▲ भारत अपने इंडो-पैसिफिक दृष्टिकोण में आसियान को केंद्र में रखता है — क्षेत्रीय सुरक्षा और विकास के लिए SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास)।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक सहयोग:** जन-जन के बीच संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए भारत और आसियान ने विभिन्न सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया है, जैसे:
 - ▲ आसियान छात्र विनिमय कार्यक्रम
 - ▲ आसियान राजनयिकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
 - ▲ भारत-आसियान थिंक टैंक्स नेटवर्क

भारत-आसियान एफटीए (FTA)

- भारत और आसियान के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग पर रूपरेखा समझौता 2003 में हस्ताक्षरित हुआ, जिसने बाद के समझौतों के लिए कानूनी आधार प्रदान किया।
 - ▲ इनमें वस्तुओं के व्यापार समझौता, सेवाओं के व्यापार समझौता और निवेश समझौता शामिल हैं — जो मिलकर भारत-आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र (AIFTA) बनाते हैं।
- आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता पर 2010 में हस्ताक्षर हुए और यह प्रभाव में आया।
 - ▲ इस समझौते के अंतर्गत भारत और आसियान सदस्य देशों ने 76.4% वस्तुओं पर शुल्कों को धीरे-धीरे कम करने तथा समाप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
- आसियान-भारत सेवा व्यापार समझौता पर 2014 में हस्ताक्षर हुए — इसमें पारदर्शिता, घरेलू नियम, बाजार

पहुंच, राष्ट्रीय उपचार, मान्यता और विवाद समाधान जैसे प्रावधान शामिल हैं।

- आसियान-भारत निवेश समझौता भी 2014 में हस्ताक्षरित हुआ — यह निवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जैसे: निवेशकों के लिए निष्पक्ष और समान व्यवहार, अधिग्रहण या राष्ट्रीयकरण की स्थिति में गैर-भेदभावपूर्ण व्यवहार और उचित मुआवजे की गारंटी।

AIFTA से जुड़ी चुनौतियाँ

- **व्यापार घाटे में वृद्धि:** भारत का व्यापार घाटा लगातार बढ़ा है क्योंकि आयात तीव्रता से बढ़ा जबकि निर्यात धीमा रहा।
- **भारतीय सेवाओं के लिए सीमित बाजार पहुंच:** सेवाओं और निवेश समझौते का उपयोग सीमित रहा है।
- **गैर-शुल्क बाधाएं (NTBs):** आसियान देश जटिल मानकों, लाइसेंसिंग आवश्यकताओं और अन्य नियामक बाधाओं को लागू करते हैं।
- **उत्पत्ति नियमों की समस्याएं:** ढीले नियमों के कारण तीसरे देश (जैसे चीन) आसियान के माध्यम से भारत में माल भेजते हैं और शुल्क लाभ उठाते हैं।
- **भारतीय कृषि के लिए सीमित लाभ:** उच्च स्वच्छता मानक और कोटा प्रतिबंध भारतीय कृषि उत्पादों को प्रभावित करते हैं।
- **वार्ता में असंतुलन:** आसियान एक समूह के रूप में वार्ता करता है जबकि भारत अकेले, जिससे भारत की व्यापार करने की शक्ति कम होती है।

आगे की राह

- **गैर-शुल्क बाधाएं (NTBs):** भारत को विशेष रूप से फार्मा और कृषि क्षेत्रों में पारदर्शी समाधान तंत्र की मांग करनी चाहिए।
- **उत्पत्ति नियम (RoO):** सख्त और स्पष्ट RoO मानदंडों से व्यापार का दुरुपयोग रोका जा सकता है।
- **आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन:** भारत और आसियान को एकल देश पर निर्भरता कम करने के लिए सहयोग करना चाहिए — इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर एवं महत्वपूर्ण खनिजों में निवेश लाभकारी हो सकता है।

- **सततता और हरित विकास:** सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और जलवायु-स्मार्ट कृषि में संयुक्त उपक्रम साझेदारी को सुदृढ़ कर सकते हैं।

Source: TH

भारत में वृद्ध जनसंख्या में वृद्धि

संदर्भ

- भारत की वरिष्ठ नागरिक जनसंख्या के 2036 तक लगभग 23 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 15% होगी।

भारत में वृद्ध जनसंख्या

- वृद्ध जनसंख्या में लिंग अनुपात 1,000 पुरुषों पर 1,065 महिलाएं है, जिसमें महिलाएं वृद्ध जनसंख्या का 58% हिस्सा हैं, जिनमें से 54% विधवा हैं।
- इसके अतिरिक्त, कुल आश्रित अनुपात 100 कार्यशील आयु वर्ग के व्यक्तियों पर 62 आश्रितों का है, जो भारत में जनसंख्या वृद्धावस्था के बढ़ते सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को दर्शाता है।
- दक्षिणी राज्य, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ, वृद्ध जनसंख्या में अग्रणी हैं, तथा क्षेत्रीय असमानताएं 2036 तक और बढ़ने की संभावना है।

वृद्ध जनसंख्या को सामना करने वाली चुनौतियाँ

- **स्वास्थ्य:** मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों (डिमेंशिया, अल्जाइमर) का कलंक, बढ़ती अक्षमताएं, अपर्याप्त जेरियाट्रिक ढांचा, शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं की पहुंच में अंतर।
- **आर्थिक:** अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रावधान, जीवन और चिकित्सा व्ययों में वृद्धि, सीमित वित्तीय संसाधन।
- **सामाजिक:** पारिवारिक समर्थन प्रणाली का कमजोर होना, सामाजिक अलगाव, उपेक्षा, साथी की कमी आदि।
- **डिजिटल अंतर:** तकनीक अपनाने में बाधाएं, प्रशिक्षण की कमी और सुलभ उपकरणों की अनुपलब्धता।
- **बुनियादी ढांचा:** अपर्याप्त साक्षरता, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली में वृद्धों को संवेदनशील समूह के रूप में नजरअंदाज करना।

- भारत में सार्वजनिक स्थान और परिवहन वृद्धजन अनुकूल नहीं हैं क्योंकि कई क्षेत्रों में रैंप, हैंडरेल एवं सुलभ शौचालयों की कमी है।

भारत में वृद्धों के लिए सरकारी पहलें

- **अटल पेंशन योजना (APY):** 2015 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु शुरू की गई।
 - यह 60 वर्ष के पश्चात ₹1,000-₹5,000 की मासिक पेंशन की गारंटी देती है।
- **राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY):** 2017 में शुरू की गई, जो बीपीएल वरिष्ठ नागरिकों या ₹15,000/माह से कम आय वालों को सहायक उपकरण (श्रवण यंत्र, छड़ी, व्हीलचेयर आदि) वितरित करती है।
- **सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (SAGE) पोर्टल:** वृद्ध देखभाल सेवाओं में स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देता है, जिससे सिल्वर इकोनॉमी का विकास होता है।
- **आयुष्मान भारत – पीएमजेएवाई:** यह 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को ₹5 लाख वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करता है, जो 4.5 करोड़ परिवारों में फैले हैं।
- **माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007:** यह बच्चों और उत्तराधिकारियों को अपने माता-पिता का भरण-पोषण करने का कानूनी दायित्व बनाता है।
 - यह राज्य सरकारों को वृद्धाश्रम स्थापित करने और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण सेवाओं को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है।

आगे की राह

- **वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना:** सामुदायिक केंद्रों, एनजीओ और पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करें ताकि वृद्ध नागरिक स्मार्टफोन, टेलीमेडिसिन और डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म से परिचित हो सकें।

- **ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी ढांचे को मजबूत करना:** इंटरनेट कनेक्टिविटी और सस्ते डिजिटल उपकरणों का विस्तार करें ताकि टेलीहेल्थ और ऑनलाइन सेवाओं की पहुंच में शहरी-ग्रामीण अंतर को कम किया जा सके।
- **सिल्वर इकोनॉमी में नवाचार को प्रोत्साहित करना:** सहायक तकनीकों, एआई-आधारित स्वास्थ्य निगरानी उपकरणों और वृद्धजन की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित उपयोगकर्ता-अनुकूल एप्लिकेशन विकसित करने वाले स्टार्टअप एवं उद्यमों को समर्थन दें।
- **प्रौद्योगिकी को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ना:** पहनने योग्य स्वास्थ्य उपकरणों और टेलीमेडिसिन सेवाओं को आयुष्मान भारत और एनपीएचसीई जैसी वर्तमान सरकारी योजनाओं से जोड़ें ताकि सतत एवं निवारक देखभाल सुनिश्चित की जा सके।
- **डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना:** वृद्धजन-विशिष्ट डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल विकसित करें ताकि संवेदनशील चिकित्सा और वित्तीय जानकारी को साइबर खतरों से सुरक्षित रखा जा सके।

Source: PIB

इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना के अंतर्गत 7 परियोजनाओं को स्वीकृति

समाचार में

- इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण योजना (ECMS) के अंतर्गत ₹5,532 करोड़ की सात परियोजनाओं की घोषणा की, जिनमें से पाँच तमिलनाडु में हैं और एक-एक मध्य प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश में है।

इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण योजना (ECMS) के बारे में

- यह योजना अप्रैल 2025 में अधिसूचित की गई थी, जिसकी कुल लागत ₹22,919 करोड़ है।
- ECMS की अवधि 6 वर्षों की है (वित्त वर्ष 2025-26 से 2031-32 तक), जिसमें ग्रीनफील्ड (नई) और ब्राउनफील्ड (वर्तमान) निवेशों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर प्रोत्साहन दिया जाता है।

- इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है, निवेश आकर्षित करना और भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करना है।
- यह योजना भारत की आयातित घटकों पर निर्भरता को कम करने, घरेलू मूल्य वर्धन को बढ़ाने और निर्यात क्षमताओं को सशक्त करने की दिशा में केंद्रित है।

भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की वर्तमान स्थिति

- इलेक्ट्रॉनिक्स 2024-25 में भारत की तीसरी सबसे बड़ी और सबसे तीव्रता से बढ़ती निर्यात श्रेणी के रूप में उभरी है, जो 2021-22 में सातवें स्थान पर थी।
- यह देश की GDP में लगभग 3.4% का योगदान देती है।
- वित्त वर्ष 2025-26 की प्रथम छमाही में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात USD 22.2 बिलियन रहा, जिससे इस क्षेत्र की सुदृढ़ वृद्धि गति बनी रही और यह देश की दूसरी सबसे बड़ी निर्यात वस्तु बनने की दिशा में अग्रसर है।
- मोबाइल निर्माण इस वृद्धि का केंद्र रहा है, जिसमें उत्पादन 28 गुना बढ़ा है और भारत अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है।

चुनौतियाँ

- प्रभावशाली वृद्धि के बावजूद, भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र कई संरचनात्मक और रणनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, जैसे:
 - ▲ आयातित घटकों, विशेष रूप से सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले पैनेलों पर निर्भरता।
 - ▲ उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स में सीमित उच्च स्तरीय अनुसंधान एवं नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र।
 - ▲ आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियाँ, जिसमें लॉजिस्टिक्स और कच्चे माल की उपलब्धता शामिल है।
 - ▲ विशेषीकृत निर्माण और डिजाइन भूमिकाओं में कौशल अंतर।
 - ▲ चीन, दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे स्थापित वैश्विक केंद्रों से प्रतिस्पर्धा।

सरकारी कदम

- उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल निर्माण को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्लस्टर (EMC 2.0) योजना इलेक्ट्रॉनिक्स हब के लिए बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहन देती है।
- सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम घरेलू सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का लक्ष्य रखता है।
- डिजिटल इंडिया एवं मेक इन इंडिया जैसे व्यापक नीति समर्थन इलेक्ट्रॉनिक्स नवाचार और निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं।

निष्कर्ष

- भारत निर्यात में वृद्धि, घरेलू उत्पादन के विस्तार और मोबाइल निर्माण उद्योग की तीव्रता से वृद्धि के चलते निर्माण के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है।
- ये विकास भारत के वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरने और एक अग्रणी वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनने की दिशा में इसकी तीव्र यात्रा को दर्शाते हैं।
- निरंतर नीति समर्थन, बुनियादी ढांचे में निवेश और नवाचार के साथ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित हो सकता है।

Source: PIB

भारत को एक हरित चारा क्रांति की आवश्यकता

संदर्भ

- विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश भारत, चारे और पशु आहार की गंभीर कमी का सामना कर रहा है, जिससे ग्रामीण विकास एवं पोषण में दशकों की प्रगति खतरे में पड़ सकती है।

परिचय

- भारत वैश्विक दुग्ध उत्पादन का लगभग 23-24% हिस्सा प्रदान करता है, और 7 करोड़ से अधिक किसान सीधे डेयरी क्षेत्र से जुड़े हैं।

- यह विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए ग्रामीण परिवारों की आय का एक-तिहाई हिस्सा प्रदान करता है।
- पशुपालन भारत के सकल मूल्य वर्धन (GVA) में 5% से अधिक योगदान देता है और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के GVA में 30% से अधिक योगदान करता है, जिससे 8 करोड़ ग्रामीण परिवारों को सहायता मिलती है।

भारत में डेयरी क्षेत्र को प्रभावित करने वाली चुनौतियाँ

- **चारे का संकट:** सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में हरित चारे की 11-32% की कमी, सूखे चारे की 23% की कमी, और केंद्रित आहार की 40% से अधिक की कमी है।
 - ▲ यह स्थिति उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे उच्च उत्पादन वाले राज्यों में विशेष रूप से गंभीर है, जहाँ मांग आपूर्ति से कहीं अधिक है।
- **प्रति पशु कम उत्पादकता:** भारत में प्रति पशु दूध उत्पादन कम है, जिसका मुख्य कारण खराब पोषण है, जबकि भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है।
- **आर्थिक और आजीविका पर प्रभाव:** खराब पोषण प्रथाओं के कारण डेयरी पशुओं की संभावित उत्पादकता का लगभग आधा हिस्सा नष्ट हो जाता है।
 - ▲ दो या तीन पशु रखने वाले छोटे किसानों के लिए प्रतिदिन दूध उत्पादन में एक लीटर की गिरावट भी गंभीर आर्थिक संकट ला सकती है।
 - ▲ कुपोषण से बछड़े पैदा होने के चक्र लंबे होते हैं, बीमारियों का खतरा बढ़ता है और पशु चिकित्सा व्यय बढ़ता है।

भारत में चारे की कमी के पीछे कारण

- शहरीकरण और बुनियादी ढांचे के विस्तार ने पारंपरिक चरागाहों पर अतिक्रमण किया है।
- धान के पुआल जैसे फसल अवशेषों का औद्योगिक उपयोग बढ़ रहा है, जिससे पशुओं के लिए उपलब्धता कम हो गई है।
- कुछ फसल अवशेषों में पोषण मूल्य कम होता है, जिससे वे केवल जीवित रहने में सहायता करते हैं, उत्पादकता नहीं बढ़ाते।

- जलवायु परिवर्तन — जैसे सूखा, अनियमित वर्षा और बढ़ते तापमान — द्वारा बर्सीम एवं मक्का जैसे मौसमी चारा फसलों को हानि पहुँचती है।
- **चारा बीज और वाणिज्यिक आहार की बढ़ती कीमतें:** कई किसान पशुओं को समय से पहले बेचने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे उत्पादक पशुधन संरचना विखंडित हो रही है और दूध खरीद श्रृंखला अस्थिर हो रही है।
 - ▲ यदि इस पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो यह ग्रामीण आय को हानि पहुँचा सकता है, खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है और वैश्विक स्तर पर भारत की डेयरी नेतृत्व को कमजोर कर सकता है।

चारा क्यों महत्वपूर्ण है?

- चारा केवल पशु आहार नहीं है — यह भारत की डेयरी अर्थव्यवस्था का ईंधन है। खराब गुणवत्ता या अपर्याप्त चारा निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न करता है:
 - ▲ दूध की मात्रा और गुणवत्ता में कमी;
 - ▲ पशु चिकित्सा व्यय में वृद्धि;
 - ▲ खराब पाचन के कारण मीथेन उत्सर्जन में वृद्धि;
 - ▲ लंपी स्किन डिजीज जैसी बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशीलता;

आगे की राह

- चारा संकट को हल करने के लिए समन्वित नीति और वैज्ञानिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है:
 - ▲ गाँव स्तर पर समर्पित चारा क्षेत्र स्थापित करें।
 - ▲ बहु-कटाई, उच्च उत्पादकता वाली, सूखा-प्रतिरोधी चारा किस्मों जैसे ज्वार, मक्का और नेपियर को बढ़ावा दें।
 - ▲ किसानों को साइलेज निर्माण, हाइड्रोपोनिक्स और चारा संरक्षण में प्रशिक्षित करें।
 - ▲ सतत कृषि पद्धतियों के माध्यम से चारा और खाद्य फसलों के एकीकरण को प्रोत्साहित करें।
 - ▲ उपग्रह मानचित्रण और एआई-आधारित पूर्वानुमान का उपयोग करके चारा की कमी वाले क्षेत्रों की पहचान करें।

- ▲ कृषि और पशु चिकित्सा विश्वविद्यालयों के माध्यम से क्षेत्र-विशिष्ट चारा पैकेज विकसित करें।
- **हरित चारा क्रांति की ओर:** अनाजों में हरित क्रांति की सफलता से प्रेरित होकर, हरित चारा क्रांति में शामिल होंगे:
 - ▲ फसल प्रणाली में विविधता लाकर नेपियर घास, मक्का और दलहनों जैसी उच्च उत्पादकता वाली चारा किस्मों को शामिल करना;
 - ▲ वृक्षों और चारा फसलों को एकीकृत करने के लिए एग्रोफॉरेस्ट्री और सिल्वोपैस्टर को बढ़ावा देना;
 - ▲ दुबले मौसम में अधिशेष चारा को संग्रहीत करने के लिए चारा बैंक और कोल्ड चैन में निवेश करना;
 - ▲ किसानों को सत्ता चारा खेती और आहार प्रबंधन में प्रशिक्षित करना;
 - ▲ पीएम-किसान जैसी प्रमुख योजनाओं में सब्सिडी, बीमा और नीति समर्थन प्रदान करना;
- **सहकारी समितियों और निजी डेयरी कंपनियों की भूमिका:** भारत की डेयरी सहकारी समितियाँ जैसे अमूल इस संकट से निपटने में नेतृत्व कर सकती हैं:
 - ▲ स्थानीय चारा बैंक स्थापित करना;
 - ▲ चारा बीज वितरित करना और पोषण पर परामर्श सेवाएं प्रदान करना;
 - ▲ निजी कंपनियों के साथ अनुबंध खेती साझेदारी स्थापित करना ताकि चारे की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
- जिस प्रकार भारत ने श्वेत क्रांति के माध्यम से पूर्व चुनौतियों को पार किया, अब उसे एक हरित चारा क्रांति की आवश्यकता है — जो यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक डेयरी पशु को पूरे वर्ष पर्याप्त और पौष्टिक चारा मिले, जिससे ग्रामीण आजीविका एवं देश का खाद्य भविष्य सुरक्षित हो सके।

Source: DTE

साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

संदर्भ

- हनोई में साइबर अपराध से निपटने के उद्देश्य से आयोजित ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध कन्वेंशन पर 72 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं।

साइबर अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन

- **उद्देश्य:** यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और उन देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए एक विधायी ढांचा प्रस्तावित करता है जिनके पास साइबर अपराध से लड़ने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है।
- **पहला सार्वभौमिक कन्वेंशन:** साइबर अपराध कन्वेंशन ऑनलाइन अपराधों की जांच और अभियोजन के लिए प्रथम सार्वभौमिक ढांचा स्थापित करता है — जिसमें रैनसमवेयर, वित्तीय धोखाधड़ी और अंतरंग तस्वीरों के बिना सहमति प्रसार जैसे अपराध शामिल हैं।
- **स्वीकृति:** इसे 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पाँच वर्षों की वार्ता के पश्चात अपनाया गया। हस्ताक्षर प्रक्रिया आगामी वर्ष तक खुली रहने की संभावना है।
- **कानूनी रूप से बाध्यकारी:** संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध कन्वेंशन साइबर अपराध के विरुद्ध सामूहिक रक्षा को सुदृढ़ करने वाला एक शक्तिशाली, कानूनी रूप से बाध्यकारी उपकरण है।
- **मुख्य प्रावधान:** यह निम्नलिखित प्रकार के अपराधों को अपराध घोषित करता है:
 - ▲ **साइबर-निर्भर अपराध:** अनधिकृत पहुंच (हैकिंग), डेटा हस्तक्षेप।
 - ▲ **साइबर-सक्षम अपराध:** ऑनलाइन धोखाधड़ी, अंतरंग तस्वीरों का बिना सहमति प्रसार।
 - ▲ **बाल शोषण:** ऑनलाइन यौन शोषण, शोषण सामग्री का वितरण, याचना/प्रलोभन।
 - ▲ यह सीमाओं के पार इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य साझा करने की सुविधा प्रदान करता है और देशों के बीच 24/7 सहयोग नेटवर्क स्थापित करता है।
 - ▲ यह इतिहास रचता है क्योंकि यह अंतरंग तस्वीरों के बिना सहमति प्रसार को अपराध के रूप में मान्यता देने वाला प्रथम अंतरराष्ट्रीय समझौता है — जो ऑनलाइन शोषण के पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है।

- **प्रवर्तन:** यह उस दिन से 90 दिनों के अंदर प्रभाव में आएगा जब 40वां देश अपनी पुष्टि जमा करेगा।
- **राज्य पक्षों का सम्मेलन:** प्रवर्तन के बाद, राज्य पक्षों का सम्मेलन समय-समय पर आयोजित किया जाएगा ताकि राज्य पक्षों की क्षमता और सहयोग को बेहतर बनाया जा सके।
- **सचिवालय:** संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय (UNODC) एड हॉक समिति और भविष्य के राज्य पक्षों के सम्मेलन के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करता है।

महत्व

- वैश्विक साइबर अपराध लागत 2025 तक प्रति वर्ष \$10.5 ट्रिलियन तक पहुँचने की संभावना है, यह संधि साइबर अपराध से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
- यह नया कन्वेंशन उस समय देशों के साइबर अपराध से निपटने के तरीके को पुनः परिभाषित करने की संभावना है जब डिजिटल खतरे तीव्रता से बढ़ रहे हैं।
- कई सरकारों के लिए, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण में, यह संधि प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और वास्तविक समय सहयोग चैनलों तक पहुंच का अवसर प्रदान करती है।
- यह क्षमता निर्माण और सहयोग के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय एकजुटता को सुदृढ़ करता है।

साइबर अपराधों पर अन्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संधियाँ

- **बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबरक्राइम (काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन साइबरक्राइम):** यह इंटरनेट और अन्य कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से किए गए अपराधों को विशेष रूप से संबोधित करने वाली प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि है।
 - ▲ इसमें अवैध पहुंच, डेटा हस्तक्षेप, प्रणाली हस्तक्षेप और सामग्री-संबंधी अपराधों पर प्रावधान शामिल हैं।
- **इंटरनेट गवर्नेंस फोरम:** संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (IGF) विभिन्न हितधारक समूहों के लोगों को

डिजिटल सार्वजनिक नीति पर समान रूप से चर्चा करने के लिए एक साथ लाता है।

- **अफ्रीकी संघ साइबर सुरक्षा और व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कन्वेंशन (मालाबो कन्वेंशन):** यह संधि अफ्रीकी महाद्वीप पर साइबर सुरक्षा और व्यक्तिगत डेटा संरक्षण पर केंद्रित है।
 - ▲ यह साइबर खतरों को रोकने, महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के सिद्धांतों को रेखांकित करता है।

Source: UN

भारत के समुद्री वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ग्रेट निकोबार परियोजना

संदर्भ

- मुंबई में आयोजित इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री ने घोषणा की कि ग्रेट निकोबार परियोजना भारत के समुद्री वैश्विक व्यापार और जहाज निर्माण क्षमता को बढ़ाने में एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाएगी।

भारत की समुद्री शक्ति

- भारत का समुद्री तट 13 तटीय राज्यों में फैले 11,500 किमी से अधिक लंबा है, जो समुद्री व्यापार के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करता है।
- समुद्री गतिविधियाँ भारत की GDP में लगभग 60% योगदान देती हैं, जो उनकी रणनीतिक और आर्थिक महत्ता को दर्शाता है।
- सरकार का लक्ष्य वर्तमान 2,700 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) की बंदरगाह-हैंडलिंग क्षमता को नए मेगा पोर्ट परियोजनाओं के माध्यम से 10,000 MTPA तक बढ़ाना है।

ग्रेट निकोबार परियोजना

- यह परियोजना एक अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT), एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, टाउनशिप विकास, और 450 MVA गैस एवं सौर ऊर्जा आधारित पावर प्लांट के निर्माण को शामिल करती है।

- ICTT के माध्यम से ग्रेट निकोबार क्षेत्रीय और वैश्विक समुद्री अर्थव्यवस्था में भाग ले सकेगा और माल ट्रांसशिपमेंट में एक प्रमुख खिलाड़ी बन सकेगा।
- प्रस्तावित “ग्रीनफील्ड सिटी” द्वीप की समुद्री और पर्यटन क्षमता का दोहन करेगी।
- प्रस्तावित ICTT और पावर प्लांट के लिए स्थल ग्रेट निकोबार द्वीप के दक्षिण-पूर्वी कोने पर स्थित गलाथेया बे है, जहाँ कोई मानव निवास नहीं है।

परियोजना को लेकर चिंताएँ

- **पारिस्थितिक प्रभाव:** यह परियोजना पुराने वन क्षेत्रों को खतरे में डालती है, जो द्वीप की लगभग 24% प्रजातियों का एकमात्र आवास हैं।
- **कानूनी और प्रक्रियात्मक मुद्दे:** पर्यावरण मूल्यांकन समिति ने कथित रूप से मानवशास्त्रीय और पारिस्थितिक आपत्तियों की अनदेखी की।
- **आर्थिक व्यवहार्यता की चिंता:** विशेषज्ञों ने परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता पर प्रश्न उठाए हैं, विशेष रूप से क्षेत्र की उच्च लागत और पारिस्थितिक संवेदनशीलता को देखते हुए।
- **आदिवासी अधिकारों का उल्लंघन:** यह परियोजना कथित रूप से शोम्पेन जनजाति के अधिकारों का उल्लंघन करती है, जो एक विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (PVTG) हैं। उनके पारंपरिक भूमि एवं जीवनशैली में हस्तक्षेप मानवाधिकारों की चिंता को जन्म देता है।
- **अस्थिर क्षेत्र:** प्रस्तावित बंदरगाह एक भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है, जहाँ 2004 की सुनामी के दौरान एक महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक घटना हुई थी, जिससे इस स्थान पर बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और दीर्घकालिक स्थिरता को लेकर चिंताएँ हैं।
- **पारदर्शिता के मुद्दे:** परियोजना की विस्तृत जानकारी के लिए किए गए कई अनुरोधों को RTI अधिनियम की धारा 8(1)(a) के अंतर्गत अस्वीकार कर दिया गया, जिसमें राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा का हवाला दिया गया।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

- **स्थिति:** ये द्वीप बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्यभूमि से 1,300 किमी दक्षिण-पूर्व में स्थित हैं।
 - ▲ यह $6^{\circ} 45'$ उत्तर से $13^{\circ} 41'$ उत्तर और $92^{\circ} 12'$ पूर्व से $93^{\circ} 57'$ पूर्व तक फैला हुआ है।
- यह द्वीपसमूह 500 से अधिक बड़े और छोटे द्वीपों से बना है, जिन्हें दो अलग-अलग समूहों में विभाजित किया गया है – अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप।
 - ▲ 'टेन डिग्री चैनल' उत्तर में अंडमान द्वीपों को दक्षिण में निकोबार द्वीपों से अलग करता है।

अंडमान द्वीप


- ये द्वीप तीन प्रमुख उप-समूहों में विभाजित हैं – उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान।
 - ▲ अंडमान और निकोबार द्वीपों की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है।

निकोबार द्वीप

- ये द्वीप तीन प्रमुख उप-समूहों में विभाजित हैं – उत्तरी समूह, मध्य समूह और दक्षिणी समूह।
 - ▲ ग्रेट निकोबार इस समूह का सबसे बड़ा और सबसे दक्षिणी द्वीप है, जो दक्षिणी समूह में स्थित है।
 - ▲ भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु 'इंदिरा पॉइंट' ग्रेट निकोबार के दक्षिणी सिरे पर स्थित है।

अन्य विशेषताएँ

- इनमें से अधिकांश द्वीप ज्वालामुखीय आधार वाले हैं और तृतीयक बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शेल से बने हैं।
 - ▲ पोर्ट ब्लेयर के
- उत्तर अंडमान में स्थित सैडल पीक (737 मीटर) अंडमान और निकोबार द्वीपों की सबसे ऊँची चोटी है।
- निम्नलिखित तीन द्वीपों के नाम 2018 में बदले गए:
 - ▲ रॉस द्वीप – नया नाम: नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप
 - ▲ नील द्वीप – नया नाम: शहीद द्वीप
 - ▲ हैवलॉक द्वीप – नया नाम: स्वराज द्वीप



संक्षिप्त समाचार

राष्ट्रीय बीज निगम

समाचार

- केंद्रीय कृषि मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय बीज निगम के अत्याधुनिक बीज प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया।

राष्ट्रीय बीज निगम के बारे में

- यह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक अनुसूची 'बी' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है।
- 1963 में स्थापित, यह पूरे भारत में प्रमाणित गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन, प्रसंस्करण और वितरण तथा आधार एवं प्रजनक बीजों की आनुवंशिक शुद्धता और गुणवत्ता के रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

Source: AIR

समायोजित सकल राजस्व (AGR)

समाचार में

- सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को वित्तीय संकट सामना कर रहे दूरसंचार ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया (Vi) के विरुद्ध समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाया में अतिरिक्त मांग की समीक्षा और पुनर्विचार की अनुमति दी।

समायोजित सकल राजस्व (AGR) के बारे में

- AGR उस उपयोग और लाइसेंस शुल्क को दर्शाता है जो दूरसंचार ऑपरेटरों को दूरसंचार विभाग (DoT) को दूरसंचार नियामक ढांचे के अंतर्गत भुगतान करना होता है।
- यह सरकार को दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा दिए जाने वाले राजस्व हिस्से को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण घटक है।

पृष्ठभूमि

- AGR की अवधारणा राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1999 के अंतर्गत उत्पन्न हुई थी, जब भारत ने निश्चित लाइसेंस शुल्क प्रणाली से राजस्व-साझाकरण मॉडल की ओर प्रवृत्ति की।

- दूरसंचार ऑपरेटरों ने सरकार के साथ अपने AGR का एक निश्चित प्रतिशत लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (SUC) के रूप में साझा करने पर सहमति व्यक्त की थी।

Source: TOI

राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025

संदर्भ

- भारत सरकार (GoI) ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के विजेताओं की पूरी सूची की घोषणा की है।

राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार

- उद्देश्य:** विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी-आधारित नवाचार के विविध क्षेत्रों में वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों एवं नवप्रवर्तकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान का उत्सव मनाना।

- यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित और प्रदान किया जाता है।

- राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार चार श्रेणियों में प्रदान किया जाता है:

▲ **विज्ञान रत्न (VR) पुरस्कार:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों और योगदान को मान्यता देने के लिए।

▲ **विज्ञान श्री (VS) पुरस्कार:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए।

▲ **विज्ञान युवा-शांति स्वरूप भटनागर (VY-SSB) पुरस्कार:** 45 वर्ष तक की आयु के युवा वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए मान्यता एवं प्रोत्साहन देने हेतु।

▲ **विज्ञान टीम (VT) पुरस्कार:** तीन या अधिक वैज्ञानिकों/शोधकर्ताओं/नवप्रवर्तकों की टीम को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में टीम के रूप में किए गए असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा।

- यह पुरस्कार 13 क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं: भौतिकी, रसायन विज्ञान, जैविक विज्ञान, गणित एवं कंप्यूटर विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, चिकित्सा, अभियांत्रिकी विज्ञान, कृषि विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और अन्य संबद्ध क्षेत्र।

Source: PIB

बुरेवेस्टनिक मिसाइल

समाचार में

- रूस ने अपने परमाणु-संचालित बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।

बुरेवेस्टनिक मिसाइल

- रूस ने इसे पहली बार 2018 में प्रदर्शित किया था और हाल ही में परीक्षण के दौरान इसने 15 घंटे में 14,000 किलोमीटर की उड़ान भरी।
- नाटो इसे SSC-X-9 स्काईफॉल के नाम से संदर्भित करता है और इसका नाम स्टॉर्म पेट्रोल नामक पक्षी पर रखा गया है, जिसे कुछ लोग तूफान का संकेत मानते हैं।
- यह मिसाइल असीमित रेंज और मिसाइल रक्षा प्रणालियों को चकमा देने की क्षमता का दावा करती है।

Source :IE

रेड सैंडर्स

समाचार में

- राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) ने भारत की “पहुंच और लाभ साझा करने” (Access and Benefit Sharing - ABS) रूपरेखा के अंतर्गत रेड सैंडर्स (Pterocarpus santalinus) की खेती करने वाले 18 किसानों को ₹55 लाख जारी किए हैं।

रेड सैंडर्स (Pterocarpus santalinus) के बारे में

- इसे सामान्यतः रेड सैंडलवुड (लाल चंदन) के नाम से जाना जाता है।
- यह एक मध्यम आकार का वृक्ष होता है (10–15 मीटर

ऊँचा), जो शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है — या तो देशी प्रजातियों के साथ मिश्रित रूप में या शुद्ध रूप में।

- यह एक बहुमूल्य कठोर लकड़ी है, जिसका उपयोग फर्नीचर, वाद्य यंत्र, नक्काशी और औजारों में किया जाता है।
- यह एक स्थानिक प्रजाति है जो केवल आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाटों में पाई जाती है और इसका पारिस्थितिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व है।
- इसकी खेती आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा और अन्य राज्यों में भी की जाती है।
- यह प्रजाति वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत संरक्षित है और संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) में सूचीबद्ध है, जो इसके अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सख्ती से नियंत्रित करता है।
- IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में इसे “असुरक्षित” (Endangered) श्रेणी में रखा गया है।

Source :PIB

हाथियों की सुरक्षा के लिए घुसपैठ पहचान प्रणाली

संदर्भ

- पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (NFR) ने अपने नेटवर्क के प्रमुख हिस्सों में घुसपैठ पहचान प्रणाली (Intrusion Detection System - IDS) तैनात की है ताकि ट्रेन से टकराकर हाथियों की मृत्यु को रोका जा सके।

घुसपैठ पहचान प्रणाली (IDS) क्या है?

- IDS एक ऑप्टिकल फाइबर-आधारित निगरानी प्रणाली है जो रेलवे ट्रैक के साथ किसी भी घुसपैठ या गतिविधि का वास्तविक समय में पता लगाती है।
- जब कोई बड़ा वस्तु, जैसे हाथी या मानव, ट्रैक को पार करता है या उसके पास आता है, तो यह प्रणाली कंपन के पैटर्न को पहचानती है और तुरंत रेलवे कर्मचारियों को सतर्क कर देती है।

साइबर सुरक्षा में घुसपैठ पहचान प्रणाली (IDS)

- अपने मूल रूप में, IDS एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जो कंप्यूटरों और नेटवर्क पर अनधिकृत पहुंच या हमलों का पता लगाता है।
- यह एक निष्क्रिय निगरानी प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जो ट्रैफिक पर नजर रखता है और प्रशासकों को संदिग्ध गतिविधियों के बारे में सतर्क करता है, लेकिन सीधे उन्हें रोकता नहीं है।

Source: IE

डिजिटल गिरफ्तारी

संदर्भ

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि “डिजिटल गिरफ्तारी” आज नागरिकों के सामने आने वाले सबसे भयावह खतरों में से एक बन गई है।

परिचय

- डिजिटल गिरफ्तारी एक साइबर धोखाधड़ी है जिसमें ठग फर्जी वीडियो कॉल, नकली पहचान पत्र और आधिकारिक दिखने वाली वेबसाइटों का उपयोग करके लोगों पर झूठे अपराधों का आरोप लगाते हैं और उनसे पैसे वसूलने की कोशिश करते हैं।
- गृह मंत्रालय (MHA) और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने इस संबंध में सार्वजनिक परामर्श जारी किए हैं।

- नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे ऐसे मामलों की रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर करें।

Source: TH

स्टैनफोर्ड/एल्सेवियर की रैंक सूची

समाचार में

- स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की “विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची” 2025 हाल ही में जारी की गई।

“विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची” 2025

- स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन इओनिडिस प्रतिवर्ष एक सूची प्रकाशित करते हैं जिसमें एल्सेवियर के स्कोपस डेटाबेस से प्राप्त एक समग्र मीट्रिक जिसे c-score कहा जाता है, के आधार पर विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों को शामिल किया जाता है।
- 2025 की सूची में 6,239 भारतीय वैज्ञानिक शामिल हैं, जिनमें शीर्ष 10 का स्थान 288 से 952 के बीच है, और ये अधिकांशतः कम प्रसिद्ध संस्थानों से हैं।
- विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि सात नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से छह की रैंकिंग काफी नीचे रही, जिससे इस मीट्रिक की वैधता पर प्रश्न उठे हैं।
- यह एक प्रतिष्ठित रैंकिंग है जो विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में सबसे प्रभावशाली शोधकर्ताओं को उजागर करती है। यह सूची एल्सेवियर के सहयोग से तैयार की जाती है।

Source: TH

